न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या—22 कानपुर नगर । वाद संख्या—2/19 कम्पनीज एक्ट

30.11.2019

भाग दिवान

पत्रावली प्रस्तुत हुयी । पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग श्रीवास्तव उपस्थित । परिवादी बोर्ड की ओर से अधिकार पत्र दाखिल किये गये है एक के द्वारा श्री उमेश कुमार धर्मा मुख्य महाप्रबन्धक भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड को परिवाद दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है एवं दूसरे अधिकारपत्र द्वारा श्री अनुराग श्रीवास्तव अधिवक्ता को पब्लिक प्रासीक्यूटर के तौर पर उपरोक्त एरेजाद के लिए अधिकृत किया गया है ।

उपरोक्त परिवाद श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा त्यांक्रसेवक के रूप में दाखिल किया गया है एवं विद्वान। अधिवक्ता श्री, अनुराग़ श्रीवास्तव श्री विदेवाद में कार्यवाही के लिए पब्लिक प्रासीक्यूटरके रूप में अधिकृत है इसलिए श्री उमेश कुमार शर्मा को अग्रिम आदेश तक दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 236(4) के अनुसार व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी जाती है।

संहिता की धारा 236(2) के तहत बोर्ड को वर्तमान शिकायत को दर्ज कराने का अधिकार है एवं धारा 236(1) के अनुसार कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1710(ई)दिनॉक 23.04.18 के अनुसरण में उपरोक्त परिवाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है । अधिसूचना दिनॉकित 23.04.18 की प्रति संलग्नक एच के रूप में दाखिल की गयी है !

श्री उमेश कुमार शर्मा द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

परिवादी भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता वोर्ड जिसे आगे वार्ड कहा गया है. द्वारा विपक्षी कम्पनी विपक्षी संख्या—1 उसके निदेशकगण विपक्षी संख्या—2 से 5 एवं उसके प्रबन्धक विपक्षी संख्या—6 के विरुद्ध अभियोजन चाहा गया है । जिसके लिए यह आरोप लगाया गया है कि विपक्षी आरोपीगण विपक्षी कम्पनी कुशल इंटरनेशनल लि० के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी है जो विपक्षी कम्पनी के रोजमर्रा के कामकाज के लिए जिम्मेदार है ।

कारपोरेट देनदार और उसके निदेशकों को परिवाद में इनसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड. है616 की धारा 70/236 के अनुसार अभियुक्त के रूप में पार्टी बनाया गया है ।

अभियुक्तगण को तलव किये जाने के सम्बन्ध में बंधरा सुन्नी ।

परिवाद एवं परिवादी द्वारा दाखिल किये गये दस्तावेकों के परिशीलन से यह परिवर्धित होता है कि जम्मू और कश्मीर बैंक लि0 (विर्तिय लेनदार) द्वारा कोंड की धारा 7 के तहर एक कॉपीरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रकिया (इसके बाद CIRP के रूप में सर्दर्भित) कॉपीरेट ऋणदाता कुशाल इण्टरनेशनल लिमिटेड के खिलाक शुरू किया गया है जिसमें श्री पकंज खेतान को माननीय नेशनल कम्पनी ला दिव्यूनल इलाहाबाद (जिसे आगे एन०सी०एल०टी०) कहा गया है द्वारा पारित आदेश दिनॉकित 8.05.18 द्वारा अंतरिम समाधान वृत्तिक (अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोपेशनल)(आई आर पी)नियुक्त किया गया एवं निदेशकों प्रमोटरों या क्रॉपीरेट ऋण प्रवंधन से

जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को धारा 19 के तहत निर्धारित आईआरपी के साथ सहयोग करने और संहिता की धारा 20 के प्रावधान के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया है । माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा पारित आदेश दिनोंकित 08.05.18 की प्रति संलग्नक बी के रूप में दाखिल की गयी है।

कोड़ की धारा 17(1) के अनुसार निदेशक पण्डल को निलिश्वित कर दिया जाएगा एवं कार्पोरेट देनदार के मामलों के प्रबन्धन की शक्ति रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल में निहित हो जाएगी और बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा किया जाएगा । कार्पोरेट देनदार के अधिकारी और प्रबंधक उसे रिपोर्ट करेगें और कारपोरेट देनदार के ऐसे दस्तावेजों और रिकार्ड तक पहुँच प्रदान करेगें जो कि रिजाल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा आवश्यक हो सकते हैं और कारपोरेट देनदार के खातों को बनाए रखने वाले वित्तीय संस्थान रिजाल्यूशन प्रोफेशनल के निर्देशों पर कार्य करेगें और कारपोरेट देनदार से सम्बन्धित सभी जानकारी उसे प्रस्तुत करेगा । विपक्षीगण ने कुछ दस्तावेजों की अपूर्ति की है, लेकिन अन्य आवश्यक दस्तावेजों को नहीं सौपा है जैसा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा अनुरोध किया गया है ।

परिवादी के अनुसार माननीय एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनॉकित 04.07.18 द्वारा अभियुक्त कमॉक 2,3,4,5 और 6 को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पूर्ण सहयोग के लिए आदेशित किया जिसकी प्रति संलग्नक सी के रूप में दाखिल की गयी है । माननीय एन.सी.एल. टी. ने अपने आदेश दिनॉक 16.07.18 द्वारा विपक्षी संख्या—6 को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ पूर्ण सहयोग के लिए आदेशित किया जिस आदेश की प्रति संलग्नक डी के रूप में दाखिल की गयी है ।

परिवादी के अनुसार माननीय एन.सी.एल.टी ने 27.07.18 को आदेश दिया कि अगर शेष दस्तावेज कारपोरेट देनदार के निलम्बित निदेशकों द्वारा नहीं सौपे जाते हैं तो रिजाल्यूशन प्रोफेशनल आवेदन दायर कर सकते हैं । आदेश िनॉकित 27.07.18 की प्रति संलग्नक ई

रू रुप में दाखिल है।

परिवादी के अनुसार अपने पत्र दिनॉक 19.11.18 द्वारा रिजाल्यूशन प्रोफेशनल ने हिंगदी को सूचित किया कि आरोपीगण ने सी.आई.आर.पी. के दौरान उसके साथ सहयोग नहीं किया जिसकी एक प्रति संलग्नक संख्या एफ के रूप में दाखिल है।

परिवादी के अनुसार आरोपियों / विपक्षीगण ने सीआईआरपी के दौरान कोड के भाग दो के अध्याय सात में दण्डनीय अपराध के रूप में निम्मिलिखित अपराध कारित किये हैं।

सी.आई.आर.पी. की प्रारंभ तिथि से आरोपी बार--बार असहयोग कर रहे है और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रिजाल्यूशन प्रोफेशनल को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने में विफल रहे हैं।

सी.आई.आर.पी. के दौरान विपक्षीगण ने दुराचार किया है, जिससे उन्हें धारा 70(1) (क) के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है ।

सीआईआरपी के दौरान अभियुक्तों ने कारपोरेट देनदार की सभी संपित्तटों को जो

उनके नियंत्रण में है रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल तक पहुँचाने में असफल रहने का दुराचार (मिस कन्डक्ट) किया है, जिससे उनके विरुद्ध कोड की धारा 70(1) (बी) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

अभियुक्तों ने सीआईआरपी के दौरान सारी किताबें एवं दस्तावेज रिजाल्यूशन प्रोफेशनल को मुहैया नहीं करायी जो कारपोरेट देनदार से सम्बन्धित थीं और विपक्षीगण के कब्जे में थीं । इस प्रकार विपक्षीगण दुराचार किया है जिससे उनके दिरुद्ध संहिता की धारा 70(1)(सी) के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

अभियुक्त / विपक्षीगण कारपोरेट देनदार के मामलों का प्रबन्धन करने के लिए अंतरिम रिजाल्यूशन प्रोफेशनल / रिजाल्यूशनल प्रोफेशनल को सहायता और सहयोग देने में विफल रहे हैं।

माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा पारित आदेशों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा जानबूझकर रिजाल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा मांगे गये कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये और बार—बार आदेश पारित हाने के बावजूद विपक्षीगण / अभियुक्तों द्वारा रिजाल्यूशन प्रोफेशनल (समाधान वृत्तिक) के साथ सहयोग नहीं किया गया जिस कारण उनके विरुद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016की धारा 70(1) ए.बी.सी. 235ए, 236 के तहत प्रथम दृष्ट्या अपराध कारित होना परिलक्षित होता है एवं इस परिस्थिति में उवत संहिता के प्रावधान के अनुसार अगर देनदारी कम्पनी एवं उसके निदेशक या अधिकारीगण जानबूझकर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (समाधान वृत्तिक) के साथ सहयोग न करके और उसके द्वारा मागे गये कागजात उपलब्ध न कराके रिजॉल्यूशन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते है तो ऐसे निदेशक या अधिकारीगण दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहि । 2016 की धारा 70(1) ए.वी.सी. 235ए,236 के तहत दण्डनीय है जिसमें कम सं कम तीन वर्ष का कारावास जो अधिकतम पाँच वर्ष तक हो सकता है या उसके साथ जुरमाना (जो कम कम से एक लाख रूपये का हो सकता है) और अधिकतम एक करोड़ रूपये तक हो सकता है या कारावास एवं जुर्माना देनों की सजा दी जा सकती है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि रिकार्ड पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब है जिससे परिलक्षित होता है कि विपक्षी कम्पनी कृशल इंटरनेशनल लिमिटेड एवं इसके निदेशक एवं प्रबंधक करणवीर सिंह, श्रीमती शिंश सिरोही, कुशलपाल, सुरिन्दर नागपाल एवं आशीष पराशर जिन्हें परिवाद में विपक्षी संख्या—1 से 6 वनाया गया है द्वारा जानवूझकर माननीय कि द्वारा मांगे गये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये एवं उनके साथ सहयोग नहीं किया गया है जिसका संज्ञान माननीय एन.सी.एल.टी. द्वारा भी लिया गया है जिस आधार पर प्रथम कुष्टिया विपक्षीगण के विरुद्ध उनके द्वारा धारा 70(1) ए.बी.सी. 235ए,236 दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना उचित है ।

<u>आदेश</u>

विपक्षींगण कुशल इण्टरनेशनल लिमिटेड के निदेशक एवं प्रबन्धक करणवीर सिंह पुत्र

4

समर सिंह, श्रीमती शिश सिरोही पुत्री समर खिंह, निवेशक कुशल इण्टर नेशनल लि0, कुशल पाल पुत्र हरी सिंह निवेशक कुशल इण्टर नेशनल लि0, सुरिन्दर नागपाल पुत्र संतपाल नागपाल निवेशक कुशल इण्टर नेशनल लि0 एवं आशीष पराशर पुत्र श्री वी.एन. पराशर प्रबन्धक कुशल इण्टर नेशनल लि0 को कम्पनी अधिनियम दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 70(1) ए.बी.सी. एवं धारा 235ए,236 में विचारण हेतु जरिये जमानतीय अधिपन्न 10,000 / रूपये दिनॉक 20.1.2020 हेतु तलब किया है । पत्रावली वास्ते हाजिरी नियत दिनॉक 20.1.2020 को पेश हो ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या--22,

कानपुर नगर ।

ANT ATT - Arun Blaker





36

-41400 - 02/19 47 40 214HOX

इसीवेलानी UIS कुशल इक्ट नेशाना निर्व आक्रेम दिनोक्त 30/11/19 भी धी अध्यास



आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापस देने की तारीख	नकल वापस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	
Date of which application is made for copy accompanied by the requiste stamps	Date of posting notice on notice board	Date of delivery of copy	Signature. of official delivering copy	,
18/0/W	and a	Many		And described with the heavy special and the second

उत्तर्भाश्च भीवाश्चिव